कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / मा. / खेलकूद / 35447 / 2019–20 / 83 दिनांकः– 11/04/19

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा
....

विषयः–खेलकूद शुल्क की आरक्षित एवं अनारक्षित राशि के संबंध में दिशा–निर्देश।
प्रसंगः– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 20 दिनांक 23.05.18 व पत्रांक 45 दिनांक 10.8.18 पत्रांक 46 दिनांक 11.09.18 पत्रांक 70 दिनांकः–15.01.19 के क्रम में।

प्रासंगिक पत्राकों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का कार्यालय में अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रेषित सूचनाएं अपूर्ण तथा लेखा नियमों के अनुसार संधारित नहीं की जा रहीं है अतः उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के अनुक्रम में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. समान परीक्षा योजना के अंतर्गत अर्द्धवार्षिक / वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र वितरण पूर्व नियमानुसार निर्धारित खेलकूद शुल्क की राशि जिले में स्थापित समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों द्वारा संबंधित कार्यालय अथवा नोडल केन्द्रों पर छात्र / छात्रा नामांकनानुसार जमा करवाया जाना सुनिश्चित करे।
2. निर्देशित किया जाता है कि जिले से संबंधित समस्त निजी विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत राशि पुनर्भरण, मान्यता संबंधी कार्य , परीक्षा परिणाम अनुमोदन से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक निर्धारित कार्यालय एवं केन्द्रों पर नियमानुसार एवं छात्र / छात्रा नामांकनानुसार खेलकूद शुल्क की राशि जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. खेलकूद शुल्क जमा राशि का जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक द्वारा कार्यालय में पदस्थापित लेखाकार / क.लेखाकार द्वारा ऑडिट करवाया जावे। जिस शाला / कार्यालय में प्रतियोगिता शुल्क जमा है उस विद्यालय / कार्यालय के सामान्य ऑडिट के समय भी खेलकूद शुल्क की ऑडिट आवश्यक रूप से करवाई जावे।
4. विद्यालयों द्वारा भेजी गई खेलकूद शुल्क छात्र–छात्रा संख्या के अनुसार कम भेजी गई हो तो अन्तर राशि वसूली हेतु संबंधित विद्यालय को आदेशित किया जावे। शुल्क जमा नहीं करवाने वाले विद्यालय के विरूद्व जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक नियमानुसार कार्यवाही कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को अविलंब सूचित करेगें।
5. समस्त खेलकूद शुल्क राशि को दो भागों में(आरक्षित राशि 40 प्रतिशत व अनारक्षित राशि 60 प्रतिशत) विभाजित कर रोकड़ बहीं में अलग–अलग हिसाब रखा जावें।
6. आरक्षित राशि 40 प्रतिशत का व्यय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी आदेश एवं दिशा–निर्देशों अनुसार ही किया जावें साथहीं 60 प्रतिशत अनारक्षित राशि का व्यय ब्यौरा समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालय में सुरक्षित रखा जावें जॉच हेतु विभाग द्वारा मॉग करने पर अविलम्ब प्रस्तुत किये जावें। साथहीं आदेशित किया जाता है कि उक्त राशि का व्यय केवल **खेलकूद** मद के अंतर्गत ही किया जाना सुनिश्चित करें अन्य ओर किसी मद पर उक्त राशि द्वारा पुनर्भरण एवं समायोजन नहीं किया जावें।
7. इस कार्यालय में प्राप्त खेलकूद शुल्क संबंधी सूचनाओं का नियमानुसार पूर्ण अवलोकन करने पर पाया गया कि आप द्वारा प्रेषित खेलकूद प्रतियोगिता शुल्क की राशि संबंधी सूचना प्रसंगानुसार पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रफोर्मा प्रपत्र 01 व प्रपत्र 02 से भिन्न है ओर विद्यार्थी नामांकनानुसार सटीक नहीं है साथहीं आय अथवा व्यय का ब्यौरा भी पूर्ण नहीं है जोकि प्रथम दृष्टया लेखा अनियमितता की ओर इशारा करते है। अतः सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का कठोरता से पालन करते हुए समस्त लेखों का संधारण एकरूपतानुसार करें ओर चाहीं गयी सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
01. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
02. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इन दिशा–निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कार्यालयो / नोडल केन्द्रों से करवाकर की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
03. रक्षित पत्रावली।
04. प्रधान संपादक शिविरा, शिविरा में प्रकाशनार्थ।

उपनिदेशक(खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर